ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04. 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रेखा देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती राज कुमारी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कमल सिंह	01.04.13 से 8.8.13
2	श्री राज कुमार	9.8.13 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत माजरा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	₹ लाखों में
1	6	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.14
2	9	अनुदानों का उपयोग न करना	2.63
3	10	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.51
4	11	सहभागी समिति गठित किए बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन	17.00

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.9.16 से 20.9.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 9/14 व 11/15 तथा 1/14, 10/14 तथा 11/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 155 दिनांक 20.09.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत माजरा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत माजरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्व स्त्रोतः– ग्राम पंचायत माजरा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वःस्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	20042	281606	301648	232184	69484
2014–15	69484	164235	233719	144203	89516
2015–16	89516	159165	248681	226457	22224

(2) अनुदानः— ग्राम पंचायत माजरा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट—1 में दिया गया हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	42318	635294	677612	636259	41353
2014—15	41353	634290	675643	655005	20638
2015—16	20638	1217657	1238295	975092	263203
दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)					**₹285427**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः—

क्रमांक	ढांगू स्थित KCCB खाता सं0	अनुदान/निधि	जमा राशि (₹)
1	50055739320	3rd वित्त	5831
2	50055739342	टी0एस0सी0	3319
3	50055739295	आई0ए0वाई0	7897
4	50055739319	वी0एच0एस0सी0	9464
5	50055739331	जी0आर0डी0 वार्ड	430
6	50057490177	जैड0पी0	236216
7	20120001779	मनरेगा	46
8	20120001768	सभा निधि	22224
		कुल	₹285427

(1) अन्तशेष का विवरणः—

(क) दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार शेष ₹285427

(ख) दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि ₹285427

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता—क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम—3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता "ख" खोला जाएगा परन्तु जाँच में पाया

गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 खाता "ख" में अर्जित ₹0.14 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्नविवरणानुसार राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

		वर्ष		
खाता संख्या	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**कुल ब्याज (₹)**
50055739320	144	464	253	861
50055739342	–	395	2924	3319
50055739295	244	695	2974	3913
50055739319	198	353	368	919
50055739331	386	246	14	646
50057490177	101	23	1277	1401
20120001779	3043	44	2	3089
जोड़	4116	2220	7812	14148

7 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान

बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्व स्त्रोत जैसे कि गृह कर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत द्वारा सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 अनुदान ₹2.63 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹263203 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.51 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹450640 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी

की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹17.00 लाख के कार्य का निष्पादनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक संकर्म के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹17 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः निर्माण कार्य का निष्पादन नियमानुसार न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार सहभागी समिति का गठन कर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

13 क्रय की गई ₹17663 की निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डारण पुस्तकों में इन्द्राज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 (ए0वी0सी0 व डी0) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक/स्टोर फार्म 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है। वाउचर संख्या 34 माह/दिनांक 12/15 के अन्तर्गत मनरेगा निधि से ₹17663/– का सैनिटरी का सामान/भण्डार खरीदा

गया जिसकी प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार व कड़ें निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 36/2016–खण्ड–1–6554–6557 दिनाँकः16.12.2016
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट–2) (पैरा 10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	**वा0सं0/दिनांक**	**निधि**	**विवरण**	**राशि**
1	28/26.11.15	वी0एम0जे0एस0	मैसर्ज मैहंगा राम शर्मा एण्ड सन्ज से खरीदे गए बोर वैल का सामान	119582
2	29/26.11.15	वी0एम0जे0एस0	मै0 राजिप्द्र हार्डवेयर स्टोर से बोर वैल के सामान की खरीद का भुगतान	121768
3	54/30.3.16	वी0एम0जे0एस0	श्री तिलक राज को बोर वैल की ड्रिलिंग का भुगतान	78020
4	53/30.3.16	वी0एम0जे0एस0	मै0 तिलक राज डीप बोर वैल की ड्रिलिंग का भुगतान	80370
5	44 व 45/12/15	जैड0पी0	मै0 महावीर स्टोन क्रशर द्वारा सप्लाई किए गए रेत बजरी का भुगतान	50900
				₹450640

ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन बारेः–

(परिशिष्ट–3) (पैरा 11 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	अनुमानित राशि
1	मनरेगा	निर्माण खुदाई तालाब गुजर बस्ती वार्ड–5	154020
2	मनरेगा	निर्माण डंगा गुजर बस्ती रोशन दीन के घर से शेरबानों के घर तक	180000
3	मनरेगा	निर्माण नाली जीप योग्य रास्ता वार्ड नं0 2 व 4	237000
4	वी0एम0जे0एस0	(i) निर्माण बोर वैल ध्यान सिंह की जमीन में	200000
		(ii) निर्माण बोर वैल नारायण सिंह की जमीन में	200000
		कुल	**₹1700000**